Indian J. Soc & Pol. 1(2):39-44:2014 **ISSN : 2348-0084**

पंचायती राज व्यवस्था में नवोदित नेतृत्व का स्वरूप

देवेन्द्र पाण्डेय[1], गोपाल प्रसाद[2]

[1]प्राचार्य, सुभाष महाविद्यालय, बहरियाबाद, गाजीपुर, उ0प्र0 भारत

[2]एसोसियेट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,गोरखपुर,उ0प्र0,भारत

पूर्वपीठिका

सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं लैंगिक विषमता भारतीय ग्रामीण सामाजिक संरचना की सर्वकालिक वास्तविकता है, मूलतः भारतीय समाज का बुनियादी ढाँचा लोकतांत्रिक नहीं है यह जन्मगत असमानता पर आधारित अनेक जातियों एवं उपजातियों में विभाजित है। अनेक जातियाँ ऐसी हैं जिनका दुःखद अतीत है तथा पहचान दुर्भाग्यपूर्ण है। इनके ऊपर अनेक सामाजिक एवं आर्थिक निर्योग्यताएं थोपी गईं हैं। समाज के कमजोर वर्ग अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, पिछड़ी जातियां एवं महिलाएं इन विषमताओं के भुक्त भोगी रहे हैं। हजारों वर्षों से ये लोग शोषण वंचन व उत्पीड़न के शिकार रहे हैं।

भारतीय समाज की इसी वैषम्यता के कारण डॉ0 भीम राव अम्बेडकर पंचायती राज के पक्ष में ही नहीं थे। उनका मानना था कि हमारे गांव अज्ञानता मानसिक संकीर्णता, जातिवादिता, स्थानीयता तथा पुरुष प्रधानता के संकुचित विचारों से ग्रसित हैं। उन्हे भय था कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने से ग्रामीण समाज का प्रभावशाली पुरुष वर्ग ही लाभान्वित होगा तथा कमजोर वर्गों का शोषण और बढ़ेगा।[1] परन्तु गांधी जी को पंचायती राज व्यवस्था में पूर्ण विश्वास था और प्रमुख रुप से गांधी जी के आग्रह पर ही भारतीय संविधान के भाग–4 में राज्य के नीति– निर्देशक सिद्धान्तों में अनुच्छेद–40 के अन्तर्गत पंचायती राज का प्रावधान किया गया। गांधी का विश्वास था कि पंचायती राज के माध्यम से ग्रामीण विकास में केवल सहभागिता ही नही प्राप्त किया जा सकता है वरन् पारम्परिक सामंतवादी एवं पुरुष प्रधान सत्ता संरचना को तोड़ कर समानतावादी सत्ता संरचना की स्थापना भी की जा सकती है जिसमें महिलाओं, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लोगों को भी समानता का स्तर प्राप्त हो सकता है।

पंचायती राज के आरम्भिक वर्षों में गांधी की आकांक्षा सफलीभूत न हो सकी और डॉ0 भीम राव अम्बेडकर की आशंका सही साबित हुई। पंचायती नेतृत्व अल्पसंख्यक प्रभुत्वशाली पुरुष वर्ग के हाथों में ही सिमटा रहा जबकि बहुसंख्यक कमजोर वर्ग, महिलाएं, पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लोग पंचायती संस्थाओं से अपने आपको नहीं जोड़ पाये, अर्थात परम्परागत् रुप में पंचायती संस्थाओं का नेतृत्व कुछ मुठ्ठी भर हाथों में ही केन्द्रित रहा। प्रथम तो समाज का बहुसंख्यक कमजोर वर्ग इन संस्थाओं से अपने आपको जोड़ ही न सका और यदि कहीं परिस्थितिवश जोड़ा भी तो केवल अनुसरणकर्ता के रुप में।

पंचायती राज के परम्परागत स्वरुप में इसके नेतृत्व की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत् थीं– पंचायती राज संस्थाओं का नेतृत्व कुछ मुठ्ठी भर लोगों के हांथों में केन्द्रित था। ये मुठ्ठी भर लोग समाज के प्रभुत्वशाली वर्ग से सम्बन्धित थे।यह प्रभुत्वशाली वर्ग समाज के ऊँचे तबके से सम्बन्धित था।इस वर्ग में भी पुरुष वर्ग का प्रभुत्व बना रहा।

इस प्रकार के नेतृत्व वर्ग के द्वारा 'निरंकुश नेतृत्व' की नेतृत्व शैली का प्रयोग किया जाता था। इस प्रकार के नेतृत्व की शैली की विशेषता यह है कि इसमें नेता सम्पूर्ण अधिकार अपने हाथ में रखता है तथा समस्त शक्ति और निर्णय लेने का अधिकार उसी में सीमित रखता है। ऐसा नेता निर्णय प्रक्रिया में अपने अधीनस्थ को भागीदारी की अनुमति नही देता है और इस बात को भी सहन नहीं करता है कि उसके अनुयायी उसकी आज्ञा का उल्लंघन करें। इस प्रकार के नेतृत्व के अन्तर्गत अनुयायी पूर्णतया अपने नेता पर ही निर्भर रहते हैं और अन्तिम उद्देश्य से पूर्णतया अनभिज्ञ रहते हैं।

स्थानीय नेतृत्व में परिवर्तन का प्रयास :

अशोक मेहता समिति ने भी अपने प्रतिवेदन में इस विषय पर विस्तार से चर्चा किया तथा प्रतिवेदन में लिखा कि, विभिन्न वर्गों के हितों का समावेश करने में पंचायती राज संस्थाएँ असफल रही हैं। प्रभावशाली एवं आर्थिक रुप से सम्पन्न वर्गों द्वारा कमजोर वर्गों को पंचायत चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने से रोकने के लिए जोर–जबर्दस्ती एवं प्रभाव का प्रयोग किया गया। महिलाओं अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के सहयोजन नामांकन के लिए ऐसे व्यक्ति चयनित किये गये जो सम्पन्न वर्ग के पुरुषों के प्रति

1: Corresponding Author

सहानुभूति रखते थे या उनकी इच्छा के विरुद्ध जाने का साहस नहीं जुटा पाते थे।(व्यासुलू,1999,पृ3)

मेहता समिति प्रतिवेदन के बाद पंचायतों के पुनरुत्थान का नया दौर प्रारम्भ हुआ जिसमें मुख्य रुप से तीन राज्यों कर्नाटक, केरल तथा पश्चिम बंगाल ने पंचायतो को मजबूत करने तथा उसमें महिलाओं तथा कमजोर वर्गों की सहभागिता पर विशेष ध्यान दिया। परिणामतः कुछ महिलाएं तथा निचले वर्ग से लोग निर्वाचित भी हुए परन्तु उन्हे पंचायतों में नेतृत्व का अवसर कम ही मिल पाया और तृणमूल स्तर पर प्रभावशाली मुख्य वर्ग का वर्चस्व बना रहा। पंचायतें सामाजिक विकास की वाहक बनने की जगह उन समूहों व समुदायों की निजी व्यवस्था ही बनी रही जो सामाजिक और आर्थिक रुप से शक्ति सम्पन्न थे।

वास्तव में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं एवं कमजोर वर्गों को नेतृत्व न मिल पाने के मूल में स्वयं पंचायतों का कमजोर होना भी उत्तरदायी कारक था। पंचायतों का गठन राज्य सरकारों की इच्छा पर निर्भर था उनके सारे कार्य कागजों तक सीमित थे और उन्हें संवैधानिक दर्जा प्राप्त न हो सका था। अतः पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु आमूल–चूल परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की गई।इस प्रक्रिया का प्रारम्भ 1984 में राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद सम्भालने के बाद किया। उन्होने सर्वप्रथम 'समाजवादी योजनाबद्ध ग्रामीण विकास' के स्थान पर 'जनतन्त्रीय सत्ता हस्तानान्तरण' से विकास का मार्ग प्रशस्त करना चाहा। उनकी यह उत्कट अभिलाषा थी कि पंचायतें स्वतन्त्र रुप से विकास का कार्य सम्पन्न कर सकें। सत्ता की बागडोर आम जनता को सौंप दिया जाये। आम जनता स्वयं अपनी योजना बनायें, योजनाएं ऊपर से थोपी न जाएं, उनके पास पर्याप्त संसाधन भी हों और उन योजनाओं को लागू करने हेतु पर्याप्त अधिकार भी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के लिए पद आरक्षित हों

उपर्युक्त मन्तव्यों के अनुरुप भारतीय संविधान का 64वां संशोधन विधेयक भारतीय संसद में प्रस्तुत किया गया जो कतिपय राजनीतिक विवशताओं के कारण पारित न हो सका। पुनः 1993 में भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत में पंचायत संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया।

वास्तव में 73वें संविधान संशोधन विधेयक के पीछे यह दृष्टिकोण कार्य कर रहा था कि समाज के सभी लोगों को विशेषतः जो अनेक कारणों से उपेक्षित रह गये हैं, उन्हें भी समाज के विकास में नेतृत्व करने का अवसर उपलब्ध हो सके। अब तक के विभिन्न अध्ययनों एवं सुझावों से यह स्पष्ट हो चुका था कि अभी तक महिलाओं एवं अनुसूचित वर्गों के लोग निश्चित रुप से पंचायतों में नेतृत्व नहीं कर सके हैं फलतः 73वें संविधान संशोधन में इनके लिए विशेष प्रावधान किए गये। इस संशोधन के द्वारा संविधान के अनु0 243(घ) में यह प्रावधान किया गया कि–(कश्यप,2002,पृ087)

- तीनों स्तरों पर पंचायतों में अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों के लिए स्थानों का आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा तथा इनमें से एक तिहाई स्थान इन वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा।
- सभी स्तरों पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में अध्यक्षों के सीटों का भी आरक्षण होगा जिनमें एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
- तीनों स्तरों पर कुल सदस्यों एवं अध्यक्षों में से एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगें। ये भिन्न–भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में चक्रानुक्रम से बारी–बारी से आवंटित होंगे।
- पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान करने के लिए राज्य विधानमण्डल स्वयं सक्षम होंगे।

73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायतों के लिए ऐतिहासिक प्रयास था। जिसमें न केवल पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर ग्रामीण विकास का दायित्व सौंपा गया वरन् महिलाओं एवं कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर विकास की प्रक्रिया में भागीदारी एवं नेतृत्व का अवसर प्रदान करने का प्रयास भी किया गया।

वास्तव में 73वां संविधान संशोधन सामाजिक न्याय की दिशा में एक सराहनीय कदम था जिसके माध्यम से अभी तक उपेक्षित, पीड़ित एवं शोषित वर्ग को भी तृणमूल स्तर की संस्थाओं के माध्यम से नेतृत्व का अवसर प्राप्त होने की उम्मीद की गयी थी। अपनी अशिक्षा, आर्थिक दुर्बलता, सामाजिक एवं धार्मिक निर्योग्यताएं तथा सवर्ण जातियों के प्रभुत्व के फलस्वरुप जो वर्ग इन संस्थाओं में अपनी उपस्थिति से वंचित था आरक्षण द्वारा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया।

आज जबकि यह संशोधन हुए दो दशकों का समय बीत चुका है आवश्यकता है कि उपरोक्त तय लक्ष्यों के सापेक्ष प्राप्त परिणामों का विश्लेषण किया जाय तथा नेतृत्व वर्ग के परिवर्तित स्वरूप का अध्ययन किया जाय। इस सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के जखनियाँ क्षेत्र पंचायत के 78 गाँवों का अध्ययन प्रतिदर्श के रुप में किया है। जिसका विशद् विश्लेषण निम्नवत् प्रस्तुत किया जा रहा है–

क्षेत्र पंचायत जखनियां में ग्रामीण नेतृत्व (ग्राम पंचायत प्रधान पद) के आरक्षण की स्थिति

क्र0सं0	वर्ग	संख्या	योग
1. 2.	सामान्य महिला सामान्य	19 20	39
3. 4.	पिछड़ा वर्ग पिछड़ा वर्ग महिला	09 10	19
5. 6.	अनुसूचित जाति अनु0जाति महिला	10 10	20
योग		78	78

स्रोत, कार्यालय, क्षेत्र पंचायत अधिकारी, क्षेत्र पंचायत जखनियाँ, गाजीपुर (उ0प्र0)।

उपरोक्त सारिणी से स्पष्ट है कि जखनियां क्षेत्र पंचायत के कुल 78 ग्राम प्रधानों का पद वर्गवार आरक्षित किया गया है। तदनुरुप 39 सामान्य पदों में 20 महिला वर्ग के लिए आरक्षित किये गये हैं। पिछड़ी वर्ग के लिए आरक्षित 19 पदों में भी 10 पद इस वर्ग की महिलाओं हेतु आरक्षित किये गये शेष 20 पद अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित है जिनमें 09 पद अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए सुनिश्चित किये गये हैं।

जखनियाँ ब्लॉक के ग्राम प्रधानों का जातिवार विवरण

क्र सं	जाति	वर्ग	संख्या
1. 2.	ब्राह्मण क्षत्रिय	सामान्य वर्ग योग	01 06 07
3. 4. 5. 6. 7.	अहीर कोइरी भर गोसांई तेली	पिछड़ा वर्ग योग	29 07 03 02 03 44
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.	चमार धोबी पासी दुसाध खरवार गोड़ नोनिया	अनुसूचित जाति योग	12 02 01 01 01 01 09 27
योग			78

स्रोत, कार्यालय, क्षेत्र पंचायत अधिकारी, क्षेत्र पंचायत जखनियाँ, गाजीपुर (उ0प्र0)।

उपरोक्त सारिणी से स्पष्ट है कि एक बड़ा वर्ग जो पंचायतों में अपना नेतृत्व दे पाने में असमर्थ था उन्हें भी आरक्षण की इस व्यवस्था से नेतृत्व करने का अवसर निश्चित रुप से प्राप्त हो पाया है। बाद के निर्वाचन परिणामों पर यदि संख्यात्मक दृष्टि से दृष्टिपात करें तो स्थानीय नेतृत्व का विस्तार स्पष्टतः दिखाई भी देता है।ग्राम पंचायत चुनाव परिणाम के आधार पर यह प्रतिपादित किया जा सकता है कि **स्थानीय नेतृत्व में परम्परागत जातिगत आधिपत्य टूट चुका है** (ब्राह्मण–1 क्षत्रिय–6) और नेतृत्व का विस्तार उन जातियों की तरफ भी हुआ है जो कभी भी स्थानीय नेतृत्व के बारे में सोच भी नहीं पाते थे (धोबी–2, पासी–1, दुसाध–1, खरवार–1, गोड़–1, नोनिया–1)।

आंकड़ों का सूक्ष्म विश्लेषण एक अलग तरह की सच्चाई भी प्रस्तुत करता है। जैसे अनुसूचित जाति को प्राप्त कुल 27 सीटों में 12 सीटें मात्र एक जाति अर्थात हरिजन को प्राप्त होना तथा पिछड़ी जातियों को कुल प्राप्त 44 सीटों में आधे से भी अधिक सीटें केवल अहीर जाति को प्राप्त होना। उपरोक्त तथ्य यह स्वीकृति दिलाता है कि नेतृत्व का संख्यात्मक विस्तार भले ही हुआ हो, परन्तु यह एक सच्चाई है कि वह एक **सामान्य अभिजात्य वर्ग के हाथों से विचलित होकर अब आरक्षण की बाध्यताओं के अर्न्तगत वर्गगत अभिजात्य वर्ग के हाथों में हस्तान्तरित हुआ है। निश्चित रुप से आरक्षण का प्रावधान निर्बल एवं महिला वर्ग के नेतृत्व की प्रतिभूति तो नहीं दे सकता परन्तु इन्हें आगे बढ़ने के लिए एक अवसर तो अवश्य ही उपलब्ध कराता है।**

''कुल सीटें 78, सामान्य वर्ग–07, पिछड़ा वर्ग–44, अनुसूचित जाति–27, इसमें भी महिलाओं की संख्या–39 अर्थात् ठीक आधी''। यदि सिर्फ आंकड़ों की ही बात करें तो यह कह सकतें हैं कि पंचायतों में सभी जातियों एवं सभी वर्गों को नेतृत्व प्राप्त हो गया है। परन्तु इन आँकड़ों के अतिरिक्त भी एक सच्चाई महसूस किया गया है। यह ध्रुव सत्य है कि परम्परागत एवं पुरुष प्रधान समाज में पिछड़े वर्गों एवं महिलाओं की इस संख्या को स्वाभाविक रुप से स्वीकार नहीं किया गया है। **परम्परागत अभिजात्य वर्ग आज भी पिछड़ों एवं महिलाओं को पंचायतों का नेतृत्व वास्तविक रुप से सौंपने को तैयार नहीं है साथ ही यह वर्ग स्वयं भी नेतृत्व की भूमिका निभा पाने में सक्षम नहीं है।**

सम्पूर्ण देश के साथ जखनियाँ क्षेत्र के लिए भी 73वां संविधान संशोधन मील का पत्थर साबित हुआ है। यदि

इसका उद्देश्य महिलाओं एवं पिछड़े वर्गों को नेतृत्व वर्ग में शामिल करना था और इसी निमित्त आरक्षण की व्यवस्था की गयी थी तो प्रस्तुत अध्ययन का यह निष्कर्ष है कि संख्यात्मक रुप से हम अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इस तथ्य की पुष्टि पंचायती निर्वाचनों के परिणामों से भी हो जाता है फिर भी यह सत्य है कि परिवर्तन की यह प्रक्रिया अत्यन्त ही जटिल रुप से निष्पादित हो रही है। वास्तव में **आर्थिक एवं सामाजिक रुप से समाज की स्थिति आज भी परम्परावादी ही है। जिसके अर्न्तगत महिलाएं स्वयं को बंधा हुआ महसूस करती हैं और पिछड़ा वर्ग बहुत प्रगतिशील हो नहीं पाता।** यही कारण है कि पंचायती नेतृत्व के नये स्वरुप की जो स्थिति होनी चाहिए थी और जो वास्तव में आज है उसमें एक विरोधाभासी प्रवृति उत्पन्न हो जाती है।

सामान्य रुप से जखनियाँ क्षेत्र पंचायत के 78 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित 71 महिला/पिछड़ी/अनुसूचित वर्ग के ग्राम प्रधानों के अध्ययन के आधार पर जो अभिमत बना है वह निम्नवत् हैं–

73वें संविधान संशोधन के उपरांत जो नया नेतृत्व वर्ग उभरकर सामने आया है उसमें से अधिकांश 'नेतृत्व की मानसिकता' के लिए तैयार ही नही हैं। कुछ ही स्थानों पर महिलाएं अपने को स्वप्रेरित एवं स्वतः स्फूर्त अवस्था में पाती हैं जिससे वे चुनाव लड़ने का निर्णय और फिर चुने जाने के पश्चात स्वयं कार्यों को सम्पादित कर सकें। ''मैं लोगों के लिए काम करती हूँ। आप ऐसा क्यों कहते है कि महिला काम नहीं कर सकती, इससे मेरी प्रतिष्ठा घटती है''। यह कहना है, जखनियाँ ब्लॉक के वारोडीह मुबारक गांव के ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता देवी का जिनकी उम्र बमुश्किल 36 वर्ष है और जिनकी शिक्षा इण्टरमीडिएट तक हैं। श्रीमती अनीता देवी बताती हैं कि पंचायत चुनाव में भाग लेकर गांव की सेवा करने की चाहत मेरे मन में स्वाभाविक रुप से थी। इस पर भी जब सवर्णों के इस गांव में आरक्षित होने की स्थिति में गांव वालों ने अनुरोध किया तो मैं अपनी इस इच्छा को दमित न कर सकी और निर्वाचित भी हुई। उनके कार्यकाल में विकास कार्य भी तेजी से हुए हैं। हालांकि उनके लिए ये सब इतना आसान नहीं था। स्वयं उनके शब्दों में, ''मेरे हर कदम से लोगों को यह गलतफहमी होती है कि पूर्व प्रचलित धारणाएं टूटने वाली हैं। गांव के बुजुर्ग अक्सर ही मुझसे नाराज रहतें हैं। उन्हें लगता है कि गांव की एक महिला अपनी सारी मर्यादाएं पार कर रही हैं। मेरी पचांयत की बैठकें भावनाओं से भरी होती हैं, कभी उत्साह होता है तो कभी–कभी निराशा का आवरण भी छाया रहता है।

निःसन्देह श्रीमती अनीता देवी ने सारी कठिनाइयों को पार करते हुए अपने आत्म विश्वास और ज्ञान को बढ़ाया है। उन्होंने घरवालों एवं आस–पास के लोगों का सम्मान भी प्राप्त किया है। किन्तु श्रीमती अनीता देवी ग्रामीण नेतृत्व के लिए अपवाद स्वरुप हैं। वास्तविकता यह है कि अधिकतर महिलाएं स्वयं के पद स्वरुप को न पहचान पाती हैं और न ही वे पहचानना चाहती हैं।

अपने चुनाव लड़ने का निश्चय अपने मन से लिया या किसी के कहने से?

(महिलाएं)

क्रसं		आवृत्ति	प्रतिशत
1.	अपने मन से	9	16.6
2.	सगे–संबंधी के कहने से	30	83.3

(पिछड़ी/अनुसूचित जाति पुरुष)

1.	अपने मन से	18	90
2.	किसी और के कहने से	14	10

स्रोत, प्रश्नावली पर आधारित

सारिणी से स्पष्ट है कि प्रायः महिलाओं के चुनाव लड़ने का निर्णय घर के पुरुष सदस्य द्वारा लिया जाता है। जिसकी स्वयं की या तो राजनीतिक पृष्ठभूमि होती है या राजनीतिक महत्वाकांक्षा, किन्तु सीट आरक्षित होने के कारण स्वयं चुनाव नही लड़ पाता है। कुल 48 महिला ग्राम प्रधानों में से केवल 8 ही अर्थात् मात्र 16.7 प्रतिशत महिलाएं ही स्वयं प्रेरित होकर चुनाव लड़ने का निर्णय ली हुई थी। जबकि एक बड़ा भाग 40 प्रधान अर्थात् 83.3 प्रतिशत महिला प्रधान किसी सगे–सम्बन्धी के कहने पर चुनाव लड़ी थीं। यह प्रवृति पुरुषों में भी पायी जाती है। यद्यपि यह सत्य है कि उनमें यह अपेक्षाकृत काफी कम (10 प्रतिशत) पायी गयी है।

इन परिस्थितिजन्य निष्पन्न नेतृत्व वर्ग की एक खास विशेषता यह होती है कि स्वयं अपनी पहचान 'प्रधान' के रुप में तो नहीं बना पाती परन्तु उनके पति 'प्रधानपति' अवश्य हो जाते हैं। इस सन्दर्भ में अध्ययन के दौरान एक आश्चर्यजनक तथ्य प्राप्त हुआ कि अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी पृष्ठभूमि की महिलाएं उच्चवर्गीय महिलाओं की तुलना में अधिक अच्छी स्थिति में हैं।

निम्न जातियों की महिलाओं में जनता के बीच काम करने की स्वाभाविक प्रवृति होती है और वे अपने नेतृत्व, योग्यता तथा आत्मविश्वास के कारण प्रधान चुनी जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ उच्च वर्गीय, पति अथवा पति सम्बन्धियों से सम्बद्ध महिला नेतृत्व सिर्फ प्रतीकात्मक रुप में होती हैं और चुनाव उपरांत

नेतृत्व में इनकी कोई भूमिका नहीं रह जाती और अपने पुराने ढर्रे पर यानी गृहकार्य में रत हो जाती हैं।

वास्तव में नये नेतृत्व उभरने के बाद पंचायतों में कुछ शब्दों का चलन आम हो गया है जैसे 'प्रधानपति', 'प्रधानपुत्र' इत्यादि। अनेक महिला ग्राम प्रधानों के 'लेटरपैड' पर स्वयं प्रधान का नाम औपचारिकता वश छोटे अक्षरों में तथा उनके पति का नाम बड़े अक्षरों में लिखा गया है।

बहुत से मामलों में नेतृत्व वर्ग में आयी महिलाएं खुद भी यह विश्वास करती हैं कि उन्हें पुरुष इच्छाओं का बन्धक बनकर ही जीवन को सार्थक करना चाहिए। ग्रामीण समाज में विभिन्न मान्यताओं के कारण महिलाओं का चित्रांकन काफी टेढ़ा–मेढ़ा है तथा परम्परागत मूल्यों व संस्थाओं ने भी महिलाओं को दीन–हीन ही साबित किया है। इससे वे असुरक्षित तो होती ही हैं, उनके स्वावलम्बन में भी क्षीणता आती है और इस प्रकार वे खुद पर ही नियन्त्रण नही रख पातीं। अध्ययन में एक ऐसी ही महिला प्रधान से बात किया गया जिसने अपने आपको अशिक्षित बताया और कहा कि उसकी अपने पति के अतिरिक्त और कोई पहचान नहीं है। अनेक अन्य प्रधानों ने प्रश्नावली देते समय भी हर प्रश्न का एक ही उत्तर दिया कि मुझे कुछ नहीं पता मेरे पति से पूछिए। प्रायः नये नेतृत्व वर्ग को पंचायतों की बैठकों एवं कार्यों की जानकारी भी कम है।

ग्राम पंचायत के बैठक की जानकारी

क्र सं	ग्राम पंचायत की बैठक कितने दिन में होना आवश्यक		आवृत्ति	प्रतिशत
1.	महिला नेतृत्व	सही	17	45.8
2.		गलत	22	54.2
1.	अनु0जाति पिछड़ी पुरुष नेतृत्व	सही	24	70
2.		गलत	10	30

स्रोत, प्रश्नावली पर आधारित

ग्राम पंचायत की बैठकों की अध्यक्षता करना प्रधान का दायित्व है। उसकी अनुपस्थिति में उप–प्रधान इस दायित्व का निर्वहन करता है। इस प्रकार पंचायत की प्रत्येक बैठक में प्रधान का उपस्थित होना आवश्यक है। परन्तु सारिणी से स्पष्ट है कि नेतृत्व वर्ग में आने वाली महिला प्रधानों में 26 अर्थात 54.2 प्रतिशत को ग्राम पंचायत के बैठक की जानकारी ही नहीं है। पुरुष प्रधानों जो पिछड़ी एवं अनुसूचित वर्ग से सम्बन्धित हैं उसमें भी 30 प्रतिशत प्रधानों को ग्राम पंचायत की बैठक की जानकारी नहीं है, यदि है भी तो निश्चित अन्तराल की जानकारी नहीं है।

नव नेतृत्व वर्ग (विशेषकर महिला नेतृत्व वर्ग) को पंचायतों की बैठकों अथवा कार्यों की जानकारी कम रहती है। अक्सर ही उनके द्वारा बैठकों में भाग भी नहीं लिया जाता और यदि आवश्यक हो तभी इनसे बात भी की जाती है। अध्ययन में यह भी स्पष्ट हुआ है कि इस वर्ग के अधिकतर सदस्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर तो कर देते हैं परन्तु उन्हें इसके बारे में कुछ जानकारी ही नहीं होती।

वास्तव में सत्य तो यह है कि यदि आरक्षण का प्रावधान नहीं होता तो शायद नेतृत्व करने वाले नये वर्ग का अस्तित्व ही नहीं होता।

आरक्षण की जानकारी

क्रम संख्या	क्या आपको पंचायतों में आरक्षण की जानकारी है?		आवृत्ति	प्रतिशत
1.	महिलाएँ	हाँ	35	93.75
2.		नहीं	04	6.25
1.	पुरुष पिछड़ी/अनु0	हाँ	34	100
2.		नहीं	00	00

स्रोत, प्रश्नावली पर आधारित

आरक्षण की जानकारी के लिए पूछे गये प्रश्नों के उत्तर में यह स्पष्ट हुआ है कि 93.75 प्रतिशत महिला प्रधानों का आरक्षण के प्रावधान का पता है जबकि पिछड़ी/अनुसूचित जाति के पुरुषों में यह जानकारी शत प्रतिशत है।

आरक्षण नहीं होने पर भी निर्वाचन संबंधी जानकारी

क्रम संख्या	क्या आप आरक्षण नही होने पर भी चुनाव लड़ते/लड़ती		आवृत्ति	प्रतिशत
1.	महिला	हां	2	4.2
2.		नहीं	37	95.8
1.	पुरुष	हां	28	69.2
2.		नहीं	06	30.8

स्रोत, प्रश्नावली पर आधारित

''क्या आप आरक्षण नहीं होने पर भी चुनाव लड़ती '' इस प्रश्न के उत्तर में 95.8 प्रतिशत महिला प्रधानों द्वारा दिया गया नकारात्मक उत्तर इस तथ्य को प्रतिपादित करता कि स्थानीय नेतृत्व के स्वरूप में बदलाव संवैधानिक बाध्यता है, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया नहीं/हां। यह जरुर है कि पिछड़ी एवं अनुसूचित जातियों में अधिकतर (लगभग 70 प्रतिशत) अपने आपको नेतृत्व के लिए तैयार करने लगे हैं।

कुल के बावजूद स्थानीय नेतृत्व का नया स्वरुप स्वयं की सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि का प्रतिनिधित्व करता

है। नेतृत्व में उभरकर आया वर्ग अनुसूचित जाति, पिछड़ी या महिला इस वर्ग के शीर्षस्थ अथवा किसी विशेष समूह का प्रतिनिधित्व न करते हुए अपने वर्गों का ही सही अर्थों में प्रतिनिधित्व कर रहा है। यह शुभ संकेत हो सकता है । अपनी गम्भीर खामियों के बावजूद महिला नेतृत्व तो नहीं परन्तु अन्य पिछड़े या अनुसूचित जाति वर्ग से उभरा नेतृत्व वर्ग पंचायती राज के क्रियान्वयन में कहीं बहुत प्रभावकारी तो कहीं सामान्य भूमिका निभा रहा है।लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू निराशाजनक है। ग्रामीण स्तर पर उभरे इस नये नेतृत्व वर्ग के प्रति वर्षों से ग्रामीण राजनीति पर हावी रहे परिवारों एवं जातियों के लिए पीड़ा असहनीय है। ऐसी पंचायत संस्थाएं जो इनकी स्थापना से लेकर 1994 से पूर्व तक एक ही परिवार या जाति के कब्जे में रही आरक्षण व्यवस्था से उनका एकाधिकार समाप्त हुआ एवं नया नेतृत्व वर्ग तैयार हुआ है।

परन्तु इस प्रकार के नये स्थानीय नेतृत्व के उभरने से सामाजिक व्यवस्था तनावपूर्ण हो गयी है एवं सामाजिक वातावरण में कटुता व्याप्त है। दूसरी ओर एकदम उभरकर आया वर्ग अशिक्षा एवं अज्ञानता के कारण पंचायती राज के कानूनी दांव–पेंच में उलझा हुआ है। शोधार्थी को अध्ययन के दौरान यह भी सुनने को मिला कि ग्राम पंचायत सचिव ग्राम प्रधानों से मनचाहे हस्ताक्षर करवा कर हेरा–फेरी करते हैं, गबन करते हैं, और सजा उन्हें मिलती है। एक नकारात्मक पक्ष यह भी है कि इस व्यवस्था से ग्रामीण वातावरण में स्थायी शत्रुता पैदा हो गयी है। ऐसी स्थिति में यदि इस नये नेतृत्व वर्ग से सचमुच नेतृत्व कराना है तो इन प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित कर अपने पद के दायित्वों के अनुरुप तैयार करना होगा। अत्याचार सम्बन्धी घटनाओं को प्रभावी ढंग से रोकना होगा तथा सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों को अपने व्यवहार में उचित परिवर्तन करना होगा।

इस प्रकार पंचायतों में उभरे नये स्थानीय नेतृत्व के बारे में अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों को निम्नवत् प्रस्तुत कर सकते हैं–

- नयी पंचायत राजव्यवस्था में स्थानीय नेतृत्व का एक नया वर्ग उभरा है।
- परम्परागत् ग्रामीण शक्ति संरचना में परिवर्तन हुआ है।
- इस वर्ग में उपेक्षित, शोषित एवं महिलाओं को आरक्षण में प्रावधान के कारण नेतृत्व वर्ग में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ।
- परंपरागत अभिजात्य वर्ग (नेतृत्व वर्ग) इस नये नेतृत्व वर्ग को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। यही कारण है कि ये न तो इस नेतृत्व का सहयोग करते हैं और न ही उन्हें स्वतन्त्र हो कर काम करने देते हैं।
- वास्तविकता यह भी है कि नये उभरते वर्ग में नेतृत्व की क्षमता का भी नितांत अभाव है। निर्धनता, निरक्षरता एवं प्रतिरोध इनकी कार्य कुशलता को प्रभावित करता है।
- कुल मिलाकर यह एक ऐसा नेतृत्व वर्ग है जो परिस्थितिजन्य नेता तो है, किन्तु नेतृत्व नहीं करता अर्थात प्रधान तो है, प्रधानी नहीं करता, उसकी सारी शक्तियों का प्रयोग उसके सगे–सम्बन्धी या किसी अन्य सम्भ्रान्त अथवा प्रभावी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है।

संन्दर्भ

पूर्णिमा एण्ड विनोद व्यासुलू : *पंचायती राज : ग्रास रूट डेमोक्रेसी इन इण्डिया,* मू0एन0डी0पी0, बैक ग्राउण्डपेपर नं0–4, नई दिल्ली, 1999, पृ0–3

अनु0 243(घ) *भारत का संविधान*

कार्यालय, क्षेत्र पंचायत अधिकारी, क्षेत्र पंचायत जखनियाँ, गाजीपुर (उ0प्र0)।

कार्यालय, निर्वाचन अधिकारी, क्षेत्र पंचायत। ग्राम पंचायत विकास खण्ड जखनियाँ।

ग्राम पंचायत वारोडीह की ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता देवी से शोधार्थी की वार्ता पर आधारित।

जखनियाँ क्षेत्र पंचायत के 78 ग्राम पंचायतों में 68 महिला/पिछड़ी/अनु0जाति के प्रधानों से प्रश्नावली के उत्तर में प्राप्त निष्कर्ष, प्रश्न ''आपने चुनाव लड़ने का निश्चय अपने मन से लिया या किसी के कहने से''

वही प्रश्न ''ग्राम पंचायत की बैठक कितने दिन में होना आवश्यक है''

वही प्रश्न ''क्या आपको पंचायतों में आरक्षण की जानकारी है''

वही प्रश्न ''क्या आप आरक्षण न होने पर भी चुनाव लड़ते''